



2026:AHC:30697

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5551 वर्ष 2026

चंद्रजीत यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कमल कुमार सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री बी. के. त्रिपाठी को सुना गया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया।
2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एकमात्र प्रार्थना यह की गई है कि प्रत्यर्थी संख्या 2-अपर आयुक्त, न्यायिक (प्रथम), वाराणसी मंडल, वाराणसी को निर्देश दिया जाए कि वे निगरानी संख्या 3717/2025, कंप्यूटर केस संख्या सी202514000003717 में दायर अंतरिम राहत प्रदान करने हेतु आवेदन दिनांक 03.09.2025 पर उचित आदेश पारित करें।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उपरोक्त आवेदन पर शीघ्रता से उचित आदेश पारित करेंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित करते हुए निस्तारित किया जाता है कि वे संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कानून के अनुसार कड़ाई से और यथाशीघ्र, अधिमानतः दो सप्ताह की अवधि के भीतर, उपरोक्त आवेदन दिनांक 03.09.2025 पर निर्णय लें, और जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी